



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पंचम

जनवरी-मार्च, 2019 सत्र

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिये अनुदानों की मांगों

पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या - 30, 80, 19, 79, 7, 31, 50

मांग संख्या - 24, 67, 76, 3, 4, 5, 51, 26, 37

मांग संख्या - 28, 29, 13, 14, 16, 54, 23, 40, 45, 75 से संबंधित

भाग - एक

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

क्र	मान. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	
1.	श्री टी.एस. सिंहदेव	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय	3 घंटे
		80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	
		19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	
		79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	
		7	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय (जीएसटी)	
		31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय	
		50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय	
2.	श्री ताम्रध्वज साहू	24	लोक निर्माण कार्य – सड़कें और पुल	
		67	लोक निर्माण कार्य – भवन	
		76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		3	पुलिस	
		4	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	
		5	जेल	
		51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	
		26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	
		37	पर्यटन	
3.	श्री रविन्द्र चौबे	28	राज्य विधान मण्डल	3 घंटे
		29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	
		13	कृषि	
		14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	
		16	मछलीपालन	
		54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय	
		23	जल संसाधन विभाग	
		40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	
		45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	
		75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	

इस संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के जनवरी-मार्च, 2019 सत्र में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2019-2020 के आय-व्ययक के संबंध में उपर्युक्त मांग संख्याओं से संबंधित माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों की ग्राह्य सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, कटौती प्रस्तावों में आंशिक रूप में कुछ आवश्यक सुधार किये गये हैं।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

वित्तीय वर्ष 2019–2020 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव
भाग – एक में सम्मिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों
के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष
 2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य
 3. श्री ननकीराम कंवर, सदस्य
 4. श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य
 5. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य
 6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
 7. श्री नारायण चंदेल, सदस्य
 8. श्री अजीत जोगी, सदस्य
 9. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य
 10. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य
 11. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य
 12. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य
 13. श्री सौरभ सिंह, सदस्य
 14. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
 15. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य
 16. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य
 17. श्रीमती इन्दू बंजारे, सदस्य
-

मांग संख्या— 30

पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 35,50,62,88,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 22

1. श्री धरमलाल कौशिक , नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पथरिया में सरगांव रामबोड से भरवाडीह पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।
- (2) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड पथरिया के ग्राम मरारोना से घुठेली सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड पथरिया के ग्राम बावली से भाठापारा पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।
- (4) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड पथरिया के ग्राम लमती से मचहा पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।
- (5) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड बिल्हा के ग्राम कड़ार से भाठापारा पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।
- (6) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड बिल्हा के ग्राम करही से सोनपुरी पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।
- (7) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड बिल्हा के ग्राम कोरमी से बाड़ीपारा पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।
- (8) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड बिल्हा के ग्राम कुंआ से बोहारडीह पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।
- (9) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड पथरिया के ग्राम बहम से परसदा पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।

2. श्री पुन्नुलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नरवा,गरवा,घुरवा का उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में मजदूरों की मजदूरी भुगतान की कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं है।
- (2) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से डातो वहरा से बावाटोला पहुंच मार्ग पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना से अधियारखोर के सिकराटोला से टिपकापानी मार्ग में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) मन्नराखांड ग्राम में बाघाटोला में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।

- (5) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में तेन्दूमूडा-जूनवानी मार्ग पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (6) पेण्ड्रा से बंधी तक पीएमजीएसवाय सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (7) पेण्ड्रा से रज्जूपारा से नवागांव तक पीएमजीएसवाय सड़क नवीनीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (8) गिरवर से तेन्दूपारा पेण्ड्रा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (9) अमरपुर से लटकोनी तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (10) कोटबर्रा से बंटी बहेरा चेण्ड्रा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (11) अडभार से बगड़ी तक का उल्लेख नहीं है।
- (12) कोटजा बालाघाट से गंगापुर तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (13) पेण्ड्रा-बसंतपुर मुख्यमार्ग से गिरारी पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (14) सिलपहरी से साल्हेकोटा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (15) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में ग्राम तेन्दूमूडा (गौरेला) में अनु. जा. पारा में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (16) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में धनौली से पघराटोला मार्ग में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (17) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में ग्राम धनौली धुइलापानी मार्ग में पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।

4. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बेलतरा विधानसभा के मंगला लोधीपारा (सरकंडा) कोनी मार्ग के अरपा नदी पर पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत खमतलाई डी.एल.एस. कालेज से पंचायत भवन तक के निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत लखराम से सखन देवरी पहुंच मार्ग निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) बेलतरा विधानसभा के कोनी बिलासाताल देवनगर से बिरकोना तक पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।
- (5) बेलतरा विधानसभा के ग्राम अकलतरी से नेवसा तक पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।
- (6) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत खमतलाई मुरुम खदान स्कूल से हाउसिंग बोर्ड कालोनी तक गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (7) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत मोपका के विवेकानंद नगर फेस 1 में गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (8) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत गढ़वट हिंछाराम के घर से लालसाय तालाब तक गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (9) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत मंगला गंगानगर फेस 2 वार्ड क्र. 12 में गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (10) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत बैमा स्कूल चौक से रमाकांत पाण्डेय के घर तक गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।

- (11) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत कोनी मेनरोड से लेकर दैहानपारा तक गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (12) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत कर्रा रैनपुर में शिवरतन के घर मेनरोड तक गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (13) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत मोपका गुलाब नगर में गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (14) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत मंगला में सलाम के घर से सेन्द्री के घर तक गौरवपथ निर्माण का उल्लेख नहीं है।

5. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा और बलौदा विकासखण्ड में शौचालय निर्माण में लंबित भुगतान हितग्राहियों को देने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मनरेगा में पर्याप्त कार्य का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क में विधानसभा क्षेत्र भाठापारा में एक भी सड़क का उल्लेख नहीं है।

7. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य निधि का उल्लेख नहीं है।
- (2) भरीडांड—पिराडोल मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) ग्राम ललाती से धनगवां सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) विधायक आदर्श ग्राम बनाने एवं आदर्श ग्रामों में शासन द्वारा एक मुश्त राशि जारी करके विकास कार्य कराने का उल्लेख नहीं है।
- (5) सेवा के दौरान असामयिक मृत्यु होने वाले प्रदेश के लगभग 3600 शिक्षकर्मियों के आश्रितों को नियुक्ति देने का उल्लेख नहीं है।
- (6) रोजगार सहायकों को नियमितिकरण का उल्लेख नहीं है।
- (7) प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गरीबों के पक्के आवास कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे का उल्लेख नहीं है।
- (8) जन घोषणा पत्र के अनुसार कृषि कार्य को मरनेगा से जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
- (9) मनरेगा मजदूरों को काम न मिलने पर भत्ता देने के वायदे का उल्लेख नहीं है।
- (10) केंवची से ठाड़पथरा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

8. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) सभी गांव, मजराटोला को ग्राम सड़क योजना से जोड़ने का उल्लेख नहीं है।
- (2) शिक्षाकर्मियों को 2 वर्ष पूर्ण करने पर नियमितिकरण का उल्लेख नहीं है।

9. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) कुकुरदी जलाशय ग्राम—कुकुरदी (बलौदाबाजार) के गहरीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (2) बलौदाबाजार विधानसभा अंतर्गत मेनरोड से छुईहा जलाशय तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) बलौदाबाजार विधानसभा अंतर्गत ग्राम केशडबरी से मोहतरा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

10. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्राम खुड़िया से ग्राम औरापानी वि.ख. लोरमी जिला—मुंगेली की सड़क (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) का उल्लेख नहीं है।

11. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

भारी बारिश से ग्रामीण सड़कों की स्थिति अत्यंत जर्जर है इनके रिपेयरिंग के लिए उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 80

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि

रूपये 33,03,13,33,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 22

1. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) पंचायतीराज में प्रतिनिधियों को वित्तीय अधिकार देने का उल्लेख नहीं है।
- (2) त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को पर्याप्त वित्त का उल्लेख नहीं है।
- (3) अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रत्येक नक्सल प्रभावित पंचायतों को एक करोड़ रु. दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) पंचायतों को समय पर राशि देने की कोई व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।
- (2) अनुसूचित जाति क्षेत्र के शिक्षाकर्मियों को सही समय पर वेतन मिलने का उल्लेख नहीं है।
- (3) त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की योजना में कोई भागीदारी सुनिश्चित करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की भागीदारी (लघु उद्योग, ग्रामोद्योग विभाग की योजना में) की कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
- (5) प्रधानमंत्री आवास के लिये आवश्यक वित्तीय प्रबंध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (6) पंचायती राज संस्थाओं के अनुदान बजट का उल्लेख नहीं है।
- (7) पंचायती राज संस्थाओं में पैसे समय पर पहुंचने का उल्लेख नहीं है।
- (8) जलक्षेत्रों को समुचित विकास नहीं हो रहा है इसलिए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था में आर्थिक रूप से मजबूत करने का उल्लेख नहीं है।
- (9) त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का कभी फंक्शन और फक्शरी का कभी ट्रांसफर नहीं किया गया है।
- (10) त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी (लघु उद्योग, ग्रामोद्योग विभाग की योजना में) की कोई कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
- (11) प्रधानमंत्री आवास योजना के लिये आवश्यक वित्तीय प्रबंध करने में सरकार असफल रही है।
- (12) पंचायती राज संस्थाओं के अनुदान बजट में कटौती की गई है।
- (13) पंचायती राज संस्थाओं में पैसे समय नहीं पहुंचने से कार्यक्रम असफल है।
- (14) विभाग क्षेत्र की प्रदत्त राशि अपर्याप्त है।
- (15) त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 19

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मतदेय राशि

रूपये 20,04,92,80,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 17

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बिल्हा विधानसभा के ग्राम इच्छापुरी विकासखंड पथरिया जिला मुंगेली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उल्लेख नहीं है।
- (2) बिल्हा विधानसभा के ग्राम सावतपुर विकासखंड पथरिया जिला मुंगेली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उल्लेख नहीं है।
- (3) बिल्हा विधानसभा के ग्राम बदरा 'ठ' विकासखंड पथरिया जिला मुंगेली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उल्लेख नहीं है।

2. श्री पुन्नुलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) अस्पताल में स्वीकृत डाक्टरों अन्य पदों को भरे जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) क्षेत्र में संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टरों का पदस्थापना का उल्लेख नहीं है।
- (3) अस्पतालों में मरीजों के इलाज हेतु खरीदी गई मशीनों के संचालन हेतु विशेषज्ञों की पदस्थापना का उल्लेख नहीं है।
- (4) गौरेला में पूर्व संचालित अस्पताल जिसे बंद कर दिया गया है प्रारंभ करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) क्षेत्र में संचालित आर्युर्वेदिक एवं होम्योपैथिक अस्पतालों में पदों की भर्ती का उल्लेख नहीं है।

4. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जांजगीर चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड में ग्राम नगंवा में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण के लिये कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) नर्सों की भर्ती के संबंध में उल्लेख नहीं है।
- (2) लोक स्वास्थ्य में वर्ग 2 और 3 साथ ही डॉक्टरों की भर्ती का उल्लेख नहीं है।
- (3) डॉक्टरों की कमी है, भर्ती का उल्लेख नहीं है।
- (4) आधुनिक चिकित्सायुक्त अस्पताल उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (5) सिकल सेल के इलाज के लिए उल्लेख नहीं है।
- (6) युनिवर्सल हेल्थ केयर के क्रियान्वयन करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) एम.सी.एच. गौरेला में डॉक्टर एवं स्टॉफ की पदस्थपना का उल्लेख नहीं है।
- (2) सी.एच.सी. पेण्ड्रा, मरवाही, गौरेला में रिक्त पदों पर डॉक्टर एवं स्टॉफ की पदस्थपना का उल्लेख नहीं है।
- (3) स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं में रिक्त पड़े पदों में भर्ती का उल्लेख नहीं है।
- (4) युनिवर्सल हेल्थ स्कीम शुरू करने से पहले स्मार्ट कार्ड एवं आयुष्मान योजना के लाभ से मरिजों को वंचित करके मौत के मुंह में पहुंचाया जा रहा है।
- (5) सिकल सेल के इलाज के लिए उल्लेख नहीं है।
- (6) अस्पतालों में रिक्त पड़े टेक्नीशियन के समस्त पदों को भरने का उल्लेख नहीं है।
- (7) समस्त नागरिकों का मुफ्त एवं सभी बीमारियों के इलाज का उल्लेख नहीं है।

7. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) स्मार्ट कार्ड एवं आयुष्मान से इलाज बंद होने के कारण परेशान गरीब को राहत देने का उल्लेख नहीं है।
- (2) स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं में रिक्त पड़े 23456 पदों पद भर्ती का उल्लेख नहीं है।
- (3) कोटा क्षेत्र के वनांचलों में मलेरिया रोकथाम उपाय का उल्लेख नहीं है।
- (4) मातृ शिशु अस्पताल गौरेला (पेण्ड्रारोड) में डॉक्टर एवं स्टॉफ की पदस्थपना कब होगी का उल्लेख नहीं है।
- (5) सामुदायिक स्वास्थ्य कोटा में डॉक्टर एवं अन्य स्टॉफ की भर्ती का उल्लेख नहीं है।
- (6) सामुदायिक स्वास्थ्य रतनपुर में डॉक्टर एवं अन्य स्टॉफ की भर्ती का उल्लेख नहीं है।
- (7) सामुदायिक स्वास्थ्य गौरेला में डॉक्टर एवं अन्य स्टॉफ की भर्ती का उल्लेख नहीं है।
- (8) सामुदायिक स्वास्थ्य पेण्ड्रा में डॉक्टर एवं अन्य स्टॉफ की भर्ती का उल्लेख नहीं है।

8. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मठपुरैना जिला हास्पिटल निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) छ.ग. के हर नागरिक को निःशुल्क जांच व दवाई की सुविधा का उल्लेख नहीं है।
- (3) रायपुर मेकाहारा में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में डायलिसिस मशीनों की कमी को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) प्रदेश में रिक्त विशेषज्ञ डॉक्टरों के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

9. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) लोरमी जिला मुंगेली में 100 बिस्तर अस्पताल प्रारंभ करने की स्वीकृति हेतु वित्तीय प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम खपरीकला वि.ख. लोरमी जि.मुंगेली के प्रा. स्वा. केन्द्र में महिलाओं (माताओं) की जचकी हेतु भवन निर्माण का वित्तीय प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
- (3) बिलासपुर सी आई एम एस छ.ग. आर्युर्विज्ञान संस्थान के नये भवन का उल्लेख नहीं है।

10. श्री प्रमोद शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) झोलाछाप डाक्टरों को शासकीय प्रशिक्षण प्रदान कर प्राथमिक उपचार की अनुमति का उल्लेख नहीं है।
- (2) बलौदाबाजार में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल का उल्लेख नहीं है।
- (3) बलौदाबाजार में मेडिकल कालेज खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (4) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र में ई आई सी श्रमिकों के लिये चिकित्सा सुविधा हेतु अस्पताल खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

11. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जिला चिकित्सालय धमतरी में ट्रामा सेंटर, बर्न सेंटर का उल्लेख नहीं है।

12. श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम कुचंद्रा वि.ख. जैजैपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम जर्वे वि.ख. जैजैपुर में उप स्वास्थ्य केन्द्र का उल्लेख नहीं है।
- (3) रायपुर मेकाहारा में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) ग्राम बड़ेवेली वि.ख. मालखरौदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र का उल्लेख नहीं है।
- (5) ग्राम छपोरा वि.ख. मालखरौदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र का उल्लेख नहीं है।
- (6) ग्राम डेवेरघटा वि.ख. जैजैपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उल्लेख नहीं है।

13. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश के कई चिकित्सालयों में चिकित्सीय उपकरण के परिचालन के लिये बड़ी संख्या में ऑपरेटर्स की कमी है, भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) जिला अस्पतालों में मरीजों को दवाईयां/टीका नहीं मिलती है इसका उल्लेख नहीं है।
- (3) विभाग के बजट में मातृ और शिशु स्वास्थ्य के मात्र रु एक लाख का प्रावधान किया गया है मात्र खाना पूर्ति की गई है।
- (4) प्रदेश में चिकित्सकों की भारी कमी होने के बावजूद नये चिकित्सा शिक्षा विद्यालय के लिये उल्लेख नहीं है।
- (5) ग्राम छपोरा वि.ख. मालखरौदा में उप स्वास्थ्य केन्द्र का उल्लेख नहीं है।
- (6) ग्राम डेवेरघटा वि.ख. जैजैपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या- 79

चिकित्सा भािक्षा विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रुपये 8,84,25,95,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक - 51

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
- (2) चिकित्सा शिक्षा के लिये किसी भी प्रकार के नये संस्थान की घोषणा का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 7

वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 2,76,65,33,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 5

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रशासनिक सुधार/नीति पर कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 31

योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय
मतदेय राशि रूपये 42,25,80,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 23

1. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति औसत आय की अपेक्षा राज्य के निवासियों की औसत आय बहुत कम है जिसे समतुल्य लाने के कारगर उपाय का उल्लेख नहीं है।

(2) पेट्रोल-डीजल से वेट कम करने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति औसत आय 1 लाख 25 हजार 397 रूपये की अपेक्षा राज्य में सिर्फ 96 हजार 887 रूपये है जिसे बढ़ाने के उपाय का उल्लेख नहीं है।

(2) सकल वित्तीय घाटा रोकने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णतः सम्पत्ति कर समाप्त करने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

राज्य योजना आयोग अक्रियाशील है।

5. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

गजेटियर एवं सांख्यिकी विवरण जिसे अनावश्यक लाख प्रावधानित है जबकि कुछ वर्षों से गजेटियर के लिये एक लाख रूपये का काम भी नहीं किया जा रहा है।

मांग संख्या— 50

बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रुपये 3,26,85,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 23

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य: एक रुपये की कमी की जावे.

इस मांग संख्या को समाप्त करने की घोषणा नहीं की गई है।

मांग संख्या— 24

लोक निर्माण कार्य – सड़कें और पुल

मतदेय राशि

रूपये 27,56,01,10,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 19

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बिल्हा विधानसभा अंतर्गत ग्राम परसदा में अंडरब्रिज का प्रावधान नहीं किया गया है ।
- (2) बिल्हा विधानसभा के अंतर्गत बिल्हा में अंडरब्रिज का प्रावधान नहीं है।

2. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) सेनरदरी से सवड़ा मार्ग निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) करगी से ठपनी पानी पहुंच मार्ग निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (3) गांगपुर से सरइपानी पहुंच मार्ग निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) नेवरी नवापारा से लाटा पहुंच मार्ग निर्माण कार्य का कोई प्रावधान नहीं है।
- (5) पूर्व बजट में स्वीकृत करगरा से बिलमगढ़ मार्ग निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (6) पीपर डोल से भरींडाड धनपुर पहुंच मार्ग पर सोन नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (7) उषाढ़ से वेलधार मार्ग पर केरहाधार नाला पर पुलिया निर्माण कार्य का कोई प्रावधान नहीं है।
- (8) कछार से करहनिया मार्ग पर समुदलई नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण का निर्माण कार्य का कोई प्रावधान नहीं है।
- (9) कटरा से गवरखोज मार्ग पर चुनता नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य का कोई प्रावधान नहीं है।
- (10) रूमगा से अमेरा टिकरा मार्ग पर सोन नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (11) चुकतीपानी से आमानकान मार्ग पर आमानकान में उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य का कोई प्रावधान नहीं है।
- (12) कोल बिरा से वधरा मार्ग पर सोन नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य का कोई प्रावधान नहीं है।
- (13) पडरकुरी से किरना मार्ग पर तिपान नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण का कार्य का कोई प्रावधान नहीं है।
- (14) कोटरवरा से वचरवार मार्ग पर तिपान नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य का कोई प्रावधान नहीं है।
- (15) मरियाढांड से अमेराटिकरा भरींडाड मार्ग पर सोन नदी में उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य का कोई प्रावधान नहीं है।
- (16) पेण्ड्रा में तीस बिस्तर चिकित्सालय पूर्ण निर्माण का उल्लेख नहीं है।

- (17) पेण्ड्रा में विश्राम गृह निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (18) भवन विहीन कन्या आश्रम कोडमार में भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (19) भवन विहीन आश्रम कटहनी में भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (20) मरवाही के बरौर में कन्या छात्रावास निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (21) हॉकी खेल को बढ़ावा देने जशपुर में उच्चस्तरीय खेल परिसर निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (22) भवन विहीन कन्या छात्रावासों के भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (23) भवनविहीन हाई स्कूलों के लिए भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (24) दो पालियों में संचालित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेण्ड्रा में नये भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (25) भवनविहीन हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (26) शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पेण्ड्रा के भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (27) शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पेण्ड्रा की छात्राओं के लिए छात्रावास निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (28) सेभरदरी से खोड़ी (पसान) पहुंच मार्ग निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (29) पेण्ड्रा-अमरपुर-आमांडांड बस्ती बगरा सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (30) ग्राम कोरजा से गौशाला पहुंच मार्ग पर पुलिया निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (31) नेवसा के गिरजन पहुंच मार्ग पर पुल निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (32) नेवसा (नवापारा कछारटोला) से भदरपानी पहुंच मार्ग का प्रावधान नहीं है।
- (33) खम्हली से पंडरीपानी (साल्हेधोरी मुख्यमार्ग) तक पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।
- (34) ग्राम बेलगहना (गोरखपुर) से गिरवर पहुंच मार्ग का प्रावधान नहीं है।
- (35) ग्राम तेन्दूमुड़ा से कोरजा पहुंच मार्ग का प्रावधान नहीं है।
- (36) ग्राम कन्हारी से तेंदूमुड़ा पहुंच मार्ग का कोई प्रावधान नहीं है।
- (37) साल्हेकोटा से सिलपहरी मार्ग निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।
- (38) बेलपत से डुगरा मार्ग के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

3. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर जिला के ग्राम छतौद पहुंच मार्ग का चौड़ीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (2) मानपुर -तुलसी-अल्दा-भटभेरा मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का उल्लेख बजट में नहीं है।
- (3) तिल्दा-नेवरा बाईपास रोड निर्माण के लिए कोई राशि का प्रावधान नहीं है।
- (4) बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लदुवा मेनरोड से शुक्लाभाठा सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नेवरा तुलसी साईधाम से बी0एन0पी0 स्कूल तक मार्ग का चौड़ीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

- (6) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तिवरैया-रैता-किरना-तिल्दा मार्ग के मजबूतीकरण कार्य के लिये कोई उल्लेख नहीं है।
- (7) बलौदाबाजार विधानसभा के ग्राम भुरसुदा से ग्राम जोता तक पक्की सड़क निर्माण का प्रावधान नहीं है।
- (8) बलौदाबाजार विधानसभा के ग्राम तुलसी-मानपुर में पुल पुलिया निर्माण के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।
- (9) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तुलसी से कोहका पहुंच मार्ग हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (10) नेवरा हाईस्कूल से कालेजरोड की चौड़ीकरण तुलसी सब स्टेशन बिजली ऑफिस तक मार्ग को बजट में कोई प्रावधान नहीं है।
- (11) बलौदाबाजार विधानसभा में मोहदी से नेवधा मार्ग का निर्माण कार्य बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
- (12) बलौदाबाजार विधानसभा के अंतर्गत सरारीडीह से भिंभौरी पहुंच मार्ग लम्बाई 2 कि०मी० निर्माण कार्य का बजट में का उल्लेख नहीं है।
- (13) बलौदाबाजार विधानसभा के जलसों से नकटी मार्ग का निर्माण कार्य का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
- (14) बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के नेवरा-सिनोधा-खपरीकला-हथबंद मार्ग मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
- (15) निनवा से सिलपट्टी-हथबंद पहुंच मार्ग के लिये बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

4. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) ज्वालेश्वर महादेव मंदिर तंवरडबरा तक सड़क नवीनीकरण कार्य एवं वन विभाग से अनुमति लेकर सड़क चौड़ीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (2) गौरैला से पकरिया दुर्गाधारा होकर सड़क चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य का उल्लेख नहीं है।
- (3) केंवची-गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही-कासबहरा सड़क नवीनीकरण एवं मजबूतीकरण का उल्लेख नहीं है।
- (4) पेण्ड्रा बाईपास निर्माण में अधिग्रहित की जा रही भूमि के मुआवजे वितरण की समयावधि का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) पेण्ड्रा-बचरवार मुख्यमार्ग से सतोकपुर तक सड़क निर्माण उल्लेखित नहीं है।
- (6) पेण्ड्रा-बचरवार मुख्य मार्ग से ग्राम बंधी की सीमा तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

5. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) बेलतरा विधानसभा के गतौरी से जलसो मार्ग का चौड़ीकरण व उन्नयन कार्य का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (2) बेलतरा विधानसभा के ग्राम बसहा सरगाडोड़ी के बरभाठा सड़क मार्ग 1.80 कि.मी. निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (3) बेलतरा विधानसभा के ग्राम कोनी बिलासा ताल देवनगर से बिटकोना तक रोड निर्माण 3 कि. मी. का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (4) बेलतरा विधानसभा से सरवन देवरी पहुंच मार्ग 1.60 कि.मी. निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं किया गया है।

- (5) बेलतरा विधानसभा के ग्राम नेवसा से गढ़वर मार्ग 5 कि.मी. रोड निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (6) बेलतरा विधानसभा के ग्राम लिम्हा, लिमतरा, बगदेवा मार्ग 4 कि.मी. रोड निर्माण का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (7) बेलतरा विधानसभा के सेलर से कौवाताल रोड निर्माण 4 कि.मी. के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।
- (8) बेलतरा विधानसभा के सेलर से बरभाठा घुरीपारा मार्ग 2 कि.मी. निर्माण का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (9) बेलतरा विधानसभा के ग्राम खैरा मुख्यमार्ग से लक्ष्मीनारायण मंदिर यज्ञ स्थल खैरा (ड) पहुंच मार्ग 3 कि.मी. निर्माण का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (10) बेलतरा विधानसभा के ग्राम खमतलाई के डी.एल.एस कॉलेज से पंचायत भवन तक मार्ग 2 कि.मी. का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (11) बेलतरा विधानसभा के ग्राम मंजूर पहरी दहाईत पारा बंगला भाठा, कपरापारा, बिटकुली मार्ग 3 कि.मी. का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (12) बेलतरा विधानसभा के विवेकानंद नगर मोपका पहुंच मार्ग के 3.10 कि.मी. निर्माण का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (13) बेलतरा विधानसभा के ग्राम नगोई सोसाइटी सब स्टेशन से उरैहापारा तक मार्ग 2.50 कि.मी. निर्माण का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (14) बेलतरा विधानसभा के ग्राम नवागांव, गिरजाबंद से नवापारा करीबस्ती मार्ग का निर्माण 2.60 कि.मी. का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (15) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत सीस सावपारा से रमदेई पहुंच मार्ग 2 कि.मी. निर्माण का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (16) बेलतरा विधानसभा के ग्राम कर्रा से रैनपुर मेनरोड पहुंच मार्ग का 4 कि.मी. निर्माण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- (17) बेलतरा विधानसभा के ग्राम जाली से खुंटाघाट मार्ग 4 कि.मी. निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (18) बेलतरा विधानसभा के ग्राम सरवन देवरी गढ़वर मार्ग में खारून नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (19) बेलतरा विधानसभा के प्रभास आवासीय विद्यालय से रमतला पहुंच मार्ग कार्य का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (20) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पेण्डरवा से रानीगांव मार्ग के निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं है।
- (21) बेलतरा विधानसभा के ग्राम लोफंदी अमतारा से गोरईयां मार्ग के निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (22) बेलतरा विधानसभा के ग्राम गतौरी बटपाली, रमतला मार्ग के निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (23) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत रानीगांव से झंझारडीह मार्ग के निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (24) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत गोदइमा से कलमीटार मार्ग के निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (25) बेलतरा विधानसभाके ग्राम नगोई से कंकालीधाम मंदिर मार्ग के निर्माण कार्य का प्रावधान नहीं किया गया है।

- (26) बेलतरा विधानसभा के ग्राम नगोई से बिटकोना मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के कार्य का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (27) बेलतरा विधानसभा के ग्राम पंचायत नगोई में पुरैनातालाब व गोगला तालाब के पास नाला में पुल निर्माण का प्रावधान नहीं किया गया है।

6. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) लोरमी शहर जिला मुंगेली के बाहर बायपास रोड लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
- (2) पंडरिया शहर जिला कबीरधाम में बायपास रोड निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
- (3) विकासखण्ड लोरमी, जिला मुंगेली, ग्राम परसवारा से ग्राम गुनाफद में नये सड़क निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।
- (4) लोरमी वि.ख., जिला—मुंगेली, के ग्राम नवागांव दशाली एवं ग्राम डिडौरी के मध्य रहन नदी पर पुल निर्माण की स्वीकृति हेतु उल्लेख नहीं किया गया है।
- (5) अचानकमार अभ्यारण्य में गोबरीपाट से ग्राम केंवची तक की सड़क के जीर्णोद्धार हेतु उल्लेख नहीं किया गया है।
- (6) ग्राम—बरहा से ग्राम—जरहागांव, जिला मुंगेली में नहर में लोक निर्माण विभाग द्वारा रोड निर्माण किये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (7) ग्राम तेलियापुरान से ग्राम बरहा वि.ख. लोरमी, जिला मुंगेली के नहर में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

7. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ग्राम झर्रा से चोरिया वि.ख. बम्हनीडीह सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) मुख्य मार्ग से डोमाडीह वि.ख. जैजैपुर सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) ग्राम झालरौदा से आमापानी वि.ख. जैजैपुर सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) ग्राम ओडेकेरा से जुनवानी वि.ख. जैजैपुर सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (5) ग्राम अकसरा से केरराभाठ वि.ख. जैजैपुर सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (6) ग्राम गोविन्दा से बड़गड़ी वि.ख. बम्हनीडीह सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (7) ग्राम बड़गड़ी से चारपार वि.ख. बम्हनीडीह सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (8) ग्राम आमगांव से कारीभांवर वि.ख. जैजैपुर सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (9) ग्राम पाटनहरडी से मराडीह होते हुए कलमीडीह वि.ख. जैजैपुर सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (10) मुख्य मार्ग से बाजारपारा पिरदा वि.ख. मालखरौदा सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।
- (11) ग्राम रोहदा व बरेली के बीच नाले पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (12) ग्राम कपिस्ता से बंसुला सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (13) ग्राम ठठारी से अकलतरा सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (14) ग्राम तुषार से ओडेबरा सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (15) बहेराडीह से हरडीडीह सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (16) जैजैपुर से परसाडीह सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

- (17) ग्राम अरसिया से बिरा सोननदी पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (18) धनवारसपारा से नवागांव बोराई नदी पर पुलिया निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (19) ग्राम गुचकुलिया से करमनडीह सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

8. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) जांजगीर-चांपा जिले में अकलतरा वि.ख. में परसही से ढोरला सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) जांजगीर-चांपा जिले में अकलतरा वि.ख. में ग्राम मुडपार से राष्ट्रीय राजमार्ग तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (3) जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा वि.ख. में ग्राम फरहदा से लिलांगर नदी पुल तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) जांजगीर-चांपा जिले में अकलतरा वि.ख. में ग्राम चंगोरी में लिलांगर नदी पुल तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (5) जांजगीर-चांपा जिले में अकलतरा वि.ख. में ग्राम पिपरसती से लिलांगर नदी एनीकट तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (6) जांजगीर-चांपा जिले में अकलतरा वि.ख. में ग्राम सोनडीह से लिलांगर नदी तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (7) जांजगीर-चांपा जिले में अकलतरा वि.ख. में कापदा से परसदा सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (8) जांजगीर-चांपा जिले में बलौदा वि.ख. में खोहा से उसलापुर सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (9) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में ढोरला से पंडरिया सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (10) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में सोनदुला से लिलांगर नदी तक सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (11) जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा वि.ख. के कोटमी से अर्जुनी सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (12) जांजगीर-चांपा जिले में बलौदा वि.ख. में देवरी (बरभांटा) से कड़रा सड़क निर्माण का उल्लेख नहीं है।

9. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) भाटापारा की सड़कों और पुल-पुलियों के निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) भाटापारा शहर में सड़कों की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

10. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) धमतरी, छाती से बिजनापुरी-बरेडरा पहुंच मार्ग का उल्लेख नहीं है।
- (2) धमतरी से सोरम भठगांव मार्ग का उल्लेख नहीं है।
- (3) ग्राम कंडेल में क्षतिग्रस्त पुल को बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) धमतरी से कोलियारी से खरेंगा-दोनर-बारना मार्ग कुरुद तक का उल्लेख नहीं है।
- (5) देवरी से सेमरा (बी) रोड बनाने का उल्लेख नहीं है।

11. श्रीमती इन्दू बंजारे, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) टाटीबंध-पचपेड़ी नाका, रिंग रोड पर मठपुरैना-संजयनगर के लिए अंडरब्रिज निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (2) रायपुर कलेक्ट्रेट कम्पोजिट बिल्डिंग बनाने का उल्लेख नहीं है।

12. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

गण्डई सालहेवारा सड़क निर्माण स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

13. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अधोसंरचना (सड़क, पुल, भवन) में पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं किया गया है।

मांग संख्या— 67
लोक निर्माण कार्य — भवन

मतदेय राशि

रूपये 13,32,07,18,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 19

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बिल्हा विधान सभा के पथरिया विकासखंड के सरगांव में हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु नवीन भवन निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
- (2) बिल्हा विधान सभा के पथरिया विकासखंड के सकेत में हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु नवीन भवन निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
- (3) बिल्हा विधान सभा के पथरिया विकासखंड के चुनचुनिया में हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु नवीन भवन निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
- (4) बिल्हा विधान सभा के बिल्हा विकासखंड के पौंसरी में हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु नवीन भवन निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
- (5) बिल्हा विधान सभा के बिल्हा विकासखंड के लिमतरा में हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु नवीन भवन निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
- (6) विधान सभा के बिल्हा कन्या शाला बोदरी के अपूर्ण भवन को पूर्ण कराने का उल्लेख नहीं है।
- (7) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम परसदा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भवन का निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
- (8) हरदीकला उच्चतर माध्यमिक शाला अपूर्ण भवन को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) पटवारी आवास और कार्यालय के लिये कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) अधोसंरचना निर्माण के लिये बजट में प्रावधान नहीं किया गया है।
- (3) उच्च शिक्षा के जैसे महत्वपूर्ण विषय के लिये भवन/अतिरिक्त कक्ष/प्रयोगशाला/ग्रंथालय के लिये पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (4) भवन निर्माण के लिये पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।
- (5) सभी विभागों के भवनों के निर्माण के लिये पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।
- (6) सभी क्षेत्रों में पर्याप्त राशि आवंटन का प्रावधान नहीं है।
- (7) स्वास्थ्य अधोसंरचना के महत्वपूर्ण विषय के लिये पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।
- (8) उद्योग भवनों के निर्माण के लिये पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।
- (9) अधोसंरचना की मजबूती के लिये पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।
- (10) खेलों के अधोसंरचना विकास के लिए पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।
- (11) प्रदेश में भवन विहीन परिवहन कार्यालयों के भवन निर्माण के लिये पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।
- (12) प्रदेश के तहसील, अनुविभाग कार्यालयों के भवन निर्माण के लिये पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।

- (13) छात्रावास भवनों के अधोसंरचना विकास के लिये पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं है।
- (14) कुरुद जिला-धमतरी के भवन-विहीन उपपंजीयक कार्यालय निर्माण के लिये प्रावधान नहीं है।
- (15) भवन विहीन थानों के भवन एवं पुलिस कर्मियों के आवास के लिये पर्याप्त आवंटन का प्रावधान नहीं है।

3. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जिला जांजगीर-चांपा के कई नदी-नालों पर पुल निर्माण के लिये प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या— 76

लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेभों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

मतदेय राशि

रूपये 6,10,92,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 19

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या— 3

पुलिस

मतदेय राशि

रूपये 45,04,45,95,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 2

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.
बिल्हा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सिरगिट्टी थाना हेतु भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।
2. श्री ननकी राम कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
गंभीर आरोपियों को पकड़ने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
3. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
पुलिस आवास की पर्याप्त व्यवस्था हेतु राशि प्रदान किए जाने का उल्लेख नहीं है।
4. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) पुलिस कल्याण योजना हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
 - (2) प्रदेश के प्रत्येक थाना में महिला सेल प्रारंभ किए जाने का उल्लेख नहीं है।
 - (3) रायपुर शहर के बदहाल ट्रेफिक व्यवस्था के सुधार हेतु कार्य योजना का उल्लेख नहीं है।
5. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
पुलिस के जवानों हेतु बुलेट प्रूफ जैकेटों की खरीदी के लिए राशि आबंटित किए जाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या- 4

गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

मतदेय राशि

रूपये 59,24,48,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक - 2

1. श्री अजीत जोगी , सदस्य एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मरवाही विधानसभा क्षेत्र स्थित कोटमी चौकी का थाने में उन्नयन करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश में नक्सल समस्या के समाधान हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (3) चिटफंड कंपनी की ठगी के शिकार लोगों को राशि लौटाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) मानव अधिकार की रक्षा सुनिश्चित करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (5) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में फर्जी मुठभेड़ रोकने हेतु कारगर कदम उठाने का उल्लेख नहीं है।
- (6) महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने ठोस उपायों का उल्लेख नहीं है।
- (7) मानव तस्करी रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
- (8) प्रदेश से गायब हुए लाखों युवतियों को ढूढ़ने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (9) प्रदेश के दूसरे राज्यों में बंधक मजदूरों को वापस लाकर राज्य में रोजगार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (10) प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत पुलिस/सुरक्षा कर्मियों का कम से कम 2 करोड़ का बीमा कव्हर प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (11) नगर सेना में कार्यरत कर्मियों को पुलिस के समान वेतन भत्ता सुविधा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (12) नक्सली समस्या उन्मूलन करने का उल्लेख नहीं है।
- (13) कोडगार, धाना पेन्द्रा में नवीन पुलिस चौकी खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (14) प्रदेश में बढ़ रहे अपराध हत्या, डकैती, लूटपाट, बलात्कार रोकने ठोस कदम का उल्लेख नहीं है।
- (15) यातायात व्यवस्था सही कर दुर्घटना रोकने का उल्लेख नहीं है।
- (16) सीमावर्ती क्षेत्र में कोचियों द्वारा अवैध शराब की बिक्री रोकने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नक्सल प्रभावित थानों के लिए नवीन बजट प्रदान किए जाने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नक्सली समस्या हेतु वित्त की पर्याप्त व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

4. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) नक्सल प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत पुलिस एवं सुरक्षाकर्मियों का बीमा कव्हर 2 करोड़ किए जाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) पुलिस कर्मियों को सप्ताहिक अवकाश प्रदान किए जाने का उल्लेख नहीं है।
- (3) बेलगहना चौकी को अपग्रेड करके थाना बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) गौरेला में महिला थाना खोले जाने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में बढ़ रही मानव तस्करी को रोकने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (2) पुलिस कल्याण कोष को शासकीय अनुदान देने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रभावी नक्सल नीति निर्माण का उल्लेख नहीं है।
- (4) गिरती कानून व्यवस्था में सुधार करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

6. श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के सभी जिलों में फायर स्टेशन बनाने के लिये कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

बलौदाबाजार जिले के समस्त थाना में पर्याप्त पुलिस बल प्रदान किए जाने हेतु उल्लेख नहीं है।

8. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) पुलिस कर्मियों के लिये आवास की कमी को दूर करने हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
- (2) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस कर्मों की भारी कमी की पूर्ति हेतु उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 5

जेल

मतदेय राशि

रूपये 1,83,62,45,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 3

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
जेलों की व्यवस्था सुधारने का उल्लेख नहीं है।
2. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) सी.सी. टीवी के अतिरिक्त जेल में सुधार करने के उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।
 - (2) धमतरी उप जेल को जिला जेल बनाने के लिये कोई प्रावधान नहीं है।
3. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
जेलों में सुधार, रखरखाव एवं जेलों की कमी को दूर करने का प्रावधान नहीं है।
4. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
प्रदेश में उपजेलों की संख्या में वृद्धि किए जाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 51
धार्मिक न्यास और धर्मस्व

मतदेय राशि

रूपये 14,44,50,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 7

1. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्राचीन तीर्थ स्थल ज्वालेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण, प्रवेशद्वार निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम धनपुर (मरवाही) को पौराणिक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) राजधानी रायपुर में हज हाउस बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) गिरौधपुरी एवं सोनाखान के समुचित विकास करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) मंदिरों एवं देवालयों में पुजारियों को मानदेय प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (6) प्रसिद्ध तीर्थ स्थल राजिम में एक हजार यात्रियों के रूकने के लिये सर्वसुविधायुक्त धर्मशाला निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (7) देवगुडी के संरक्षण के उपायों का उल्लेख नहीं है।
- (8) प्रदेश के ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के संरक्षण एवं संधारण करने का उल्लेख नहीं है।

2. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) धार्मिक एवं पौराणिक महत्व के मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के संरक्षण एवं संवर्धन का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम तंवर डबरा, गौरेला स्थित ज्वालेश्वर महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण एवं प्रवेशद्वार निर्माण कराने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) तुरतुरिया, जिला—बलौदाबाजार मेला परिसर में सौंदर्यीकरण कराने का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम—गातापार, तहसील—पलारी, जिला—बलौदाबाजार, रनघौर मेला में सौंदर्यीकरण, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिय पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

दामाखेड़ा हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 26

संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 40,94,04,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 30

1. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) कला, संस्कृति एवं साहित्य को संरक्षण देने का उल्लेख नहीं है।
- (2) पुरातात्विक महत्व के स्थान धनपुर (मरवाही) में खुदाई कराने का उल्लेख नहीं है।
- (3) प्रदेश के कलाकारों सम्मान देने का उल्लेख नहीं है।
- (4) छत्तीसगढ़ी कलाकारों को मानदेय प्रदान का उल्लेख नहीं है।
- (5) छत्तीसगढ़ी बोली को राजभाषा के रूप में 8 वीं अनुसूची में शामिल करने का उल्लेख नहीं है।
- (6) छत्तीसगढ़ी फिल्मों को प्रोत्साहित करने का उल्लेख नहीं है।
- (7) प्रदेश के आदिवासी संस्कृति को संरक्षण प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (8) पुरातात्विक महत्व के स्थलों को संरक्षण प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

2. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

गांवों में देवगुड़ी निर्माण, मरम्मत, संधारण कराने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अभिलेखागार खोलने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

लोक कलाकारों हेतु पर्याप्त राशि प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) ओपन म्यूजियम के विकास में कलाकारों एवं जनजातीय शिल्पकारों/कलाकारों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) कला एवं संस्कृति परिषद या भोपाल जैसा "भारत भवन" जैसे केन्द्र की स्थापना कराने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 37

पर्यटन

मतदेय राशि

रूपये 59,00,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 30

1. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
खैरागढ़ को पर्यटन केन्द्र घोषित किए जाने का प्रावधान नहीं किया गया है।
2. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) पर्यटन में रोजगार हेतु प्रावधान नहीं किया गया है।
 - (2) भाटापारा, मावली माता मंदिर सिंगारपुर हेतु कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है
3. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
गौरैला विकासखण्ड में माई का मड़वा एवं दुर्गाधारा तीर्थ स्थल को विकसित करने का उल्लेख नहीं है।
4. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) पर्यटन विकास हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।
 - (2) राजिम, नयापारा, चम्पारण्य, दन्तेवाड़ा, डोंगरगढ़, शिवरीनारायण, रतनपुर, आरंग जैसे धार्मिक नगरी को विकसित करने का कोई उल्लेख नहीं है।
5. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) ग्राम खुड़िया विकासखण्ड लोरमी जिला मुंगेली को पर्यटन स्थल घोषित करने एवं पर्यटन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं किया गया है।
 - (2) ग्राम—औंरापानी विकासखण्ड लोरमी जिला मुंगेली के अपूर्ण पर्यटक भवन को पूर्ण कर प्रारंभ करने हेतु प्रावधान नहीं किया गया है।
6. श्री अजय चंद्राकर सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
प्रभावी पर्यटन नीति के लिये पर्याप्त राशि का आवंटन नहीं है।
7. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) धमतरी गंगरेल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का अलग से कोई प्रावधान नहीं है।
 - (2) डोंगेश्वरधाम, देवपुर तहसील एवं जिला धमतरी को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने संबंधी प्रावधान नहीं किया गया है।

8. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) प्रदेश में अनेक पर्यटन स्थल होने के बावजूद इसके लिये पर्याप्त राशि का प्रावधान नहीं किया गया है।
- (2) प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थल में बने मोटल जो कि पर्याप्त रख-रखाव के अभाव में खण्डहर में तब्दील हो रहे हैं उनके जीर्णोद्धार एवं संधारण हेतु पर्याप्त प्रावधान नहीं किया गया है।
- (3) पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिये कोई पूंजीगत बजट प्रावधान नहीं किया गया है।

मांग संख्या— 28
राज्य विधान मण्डल

मतदेय राशि

रूपये 68,41,61,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 47

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या— 29

न्याय प्रभासन एवं निर्वाचन

मतदेय राशि

रूपये 5,98,59,90,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 21

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
पत्रकार, वकील, डाक्टरों के संरक्षण हेतु विशेष कानून बनाने का उल्लेख नहीं है।
2. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
फास्ट ट्रेक कोर्ट के संबंध में उल्लेख नहीं है।
3. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
लोरमी तहसील, जिला—मुंगेली में अतिरिक्त में अतिरिक्त सत्र न्यायालय प्रारंभ करने स्वीकृति प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
4. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
अकलतरा विधान सभा क्षेत्र के बलौदा नगर में व्यवहार न्यायालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
5. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
जिला अधिवक्ता संघ बलौदाबाजार में पुस्तकालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
6. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
जिला एवं सत्र न्यायालय धमरतरी के ग्रंथालय में पुस्तकों को क्रय किये जाने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 13

कृषि

मतदेय राशि

रूपये 39,82,06,54,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 14

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) लावारिस मवेशियों के विषय में कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) रबी फसल की धान खरीदी के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) धान का बकाया बोनस भुगतान करने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री पुन्नुलाल मोहले, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) किसानों के लिये रबी एवं खरीफ फसल की क्षतिपूर्ति हेतु फसल बीमा योजना का उल्लेख नहीं है।
- (2) किसानों के दीर्घकालीन ऋण को माफ करने एवं ब्याज दर कम करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) किसानों के विभिन्न बैंक में के.सी.सी. लोन को माफ करने की योजना अथवा दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन कर्ज का प्रावधान नहीं है।
- (4) प्रति एकड़ 15 क्विंटल से ज्यादा किसानों के उपज का धान समर्थन मूल्य में जनवरी बाद खरीदने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

औषधीय एवं सुगंधित फसलों के विस्तार, प्रशिक्षण, सब्सिडी, मार्केटिंग के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) फसल उत्पादन, पशुपालन में घट रही वृद्धि दर को बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
- (2) मरवाही क्षेत्र में कृषि से सम्बंधित किसी भी प्रकार के उद्योग की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) किसानों के फसल उत्पादन में वृद्धि करने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
- (4) कृषि उपकरण प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) धान विक्रेता कृषकों को बकाया बोनस राशि प्रदान करने की समयसीमा का उल्लेख नहीं है।
- (6) उद्यानिकी फसलों के उपार्जन का उल्लेख नहीं है।
- (7) कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना कर किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का उल्लेख नहीं है।
- (8) फसल बीमा राशि से वंचित किसानों को राहत पहुंचाने एवं बीमा राशि दिलाये जाने का उल्लेख नहीं है।

- (9) बारदानों की कमी के जितने दिन धान खरीदी नहीं हुआ उतने दिन की धान खरीदी की तिथि बढ़ाये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (10) पंजीयन से वंचित किसानों का धान खरीदने का उल्लेख नहीं है।
- (11) टमाटर एवं अन्य बागवानी फसलों को "बाजार हस्तक्षेप योजनांतर्गत" समर्थन मूल्य निर्धारित कर खरीदने का उल्लेख नहीं है।
- (12) किसानों को किफायती दामों पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक देने का उल्लेख नहीं है।
- (13) ग्रीष्मकालीन धान समर्थन मूल्य में खरीदने का उल्लेख नहीं है।
- (14) राष्ट्रीय कृषि बाजार का उल्लेख नहीं है।
- (15) सभी विकासखण्डों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है।
- (16) गौशालाओं में गायों की सुरक्षा एवं उचित देखरेख करने का उल्लेख नहीं है।
- (17) उच्च गुणवत्ता के खाद, बीज, दवाईयां सुलभता से किसानों को उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (18) गौ सेवकों को मानदेय प्रदाय करने का उल्लेख नहीं है।
- (19) टपक पद्धति को बढ़ावा देने का उल्लेख नहीं है।
- (20) दलहन, तिलहन, उद्यानिकी फसल उत्पादन को बढ़ावा देकर उसे खरीदने के लिये मण्डी बनाने का उल्लेख नहीं है।
- (21) किसानों को एक-एक दाना धान खरीदने का प्रावधान नहीं है।
- (22) सब्जी एवं फल उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने सभी ब्लाकों में कोल्ड स्टोरेज खोलने का प्रावधान नहीं है।
- (23) धान भण्डारण के समुचित उपाय एवं सुरक्षा का उल्लेख नहीं है।
- (24) किसानों की आमदनी दुगुना करने का उल्लेख नहीं है।
- (25) बागवानी एवं सब्जी उत्पादक किसानों के उत्पाद को समर्थन मूल्य में खरीदी करने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) अल्पकालीन के साथ मध्यम और दीर्घकालीन ऋण माफ करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) परम्परागत कृषि को बढ़ावा देने हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (3) कृषि फसलों के न्यूनतम मूल्य पर खरीदी करने के संबंध में उल्लेख नहीं है।

6. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रुपये की कमी की जावे.

- (1) बम्पर उत्पादन के कारण टमाटर की कीमत में आई मद से किसानों को राहत पहुंचाने के लिये बाजार हस्तक्षेप योजनांतर्गत टमाटर खरीदी करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) सब्जी एवं बागवानी फसल उत्पादन का उचित समर्थन मूल्य में क्रय कर किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने का उल्लेख नहीं है।
- (3) सभी किसानों का ऋण माफ करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) किसानों को फसल बीमा योजना की राशि दिलाने का उल्लेख नहीं है।

7. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) आत्महत्या से पीड़ित कृषक परिवारों की सहायता के लिये कोई उल्लेख नहीं है।
- (2) पशु बाहुल्य जांजगीर-चांपा जिले में पशु बगैर इलाज के दम तोड़ रहे हैं, जबकि जिले के असंख्य औषधालय विहीन गांवों में पशु औषधालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (3) पौध संरक्षण के लिये कुल बजट का 0.02 प्रतिशत आवंटन है, पर्याप्त राशि आवंटित करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिये कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये नाममात्र 0.08 प्रतिशत का बजट है, बजट राशि बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।

8. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

कृषि ऋण माफी में निजी बैंकों एवं सेठ, साहूकारों से ली गई कर्ज को माफ करने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

लोरमी, जिला-मुंगेली में नया कृषि महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 14

पभापालन विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 5,40,74,14,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 35

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पिरैया में तथा विकासखंड बिल्हा में पशु औषधालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (2) बिल्हा विकासखंड के पथरिया विकासखंड के ग्राम सिलदहा में पशु औषधालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (3) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के विकासखंड बिल्हा के ग्राम बिटकुली में पशु औषधालय खोलने का उल्लेख नहीं है।
- (4) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र के विकासखंड पथरिया के ग्राम खजुरी में पशु औषधालय खोलने का उल्लेख नहीं है।

2. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

रायपुर शहर के मध्यस्थित पशुवध गृह को शहर सीमा से बाहर ले जाने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) पथरिया में संचालित पशु प्रजनन प्रक्षेत्र के उन्नयन एवं कृषकों को लाभान्वित करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) क्षेत्र के पशुपालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) वर्तमान में कर्ज से खरीदे गये पशुओं का बीमा किया जाता है, निजी पशुओं का बीमा कराये जाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) कृषि क्षेत्र में युवाओं को रोजगार प्रदान करने का प्रावधान नहीं है।

4. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

भेड़ और ऊन विकास के लिये कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

5. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) गौ-पालन को बढ़ावा देने हेतु पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।
- (2) गौ-सेवा केन्द्रों में गायों के लिये पर्याप्त आहार उपलब्ध कराने का उल्लेख नहीं है।
- (3) पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों एवं स्टाफ के रिक्त पदों पर भर्ती करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) पशु संवर्धन केन्द्र पकरिया (गौरेला) के विकास का उल्लेख नहीं है।
- (5) फूट एण्ड माउथ डिजीस से पेण्ड्रा, मरवाही, कोटा, रतनपुर, गौरेला में हुई गायों की मौत पर कार्यवाही करने का उल्लेख नहीं है।

6. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सुअर के विकास के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है।

मांग संख्या— 16

मछलीपालन

मतदेय राशि

रूपये 69,28,29,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 36

1. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मछली पालकों को हो रहे हाथी पांव (इन्सेपलाइटिस) बीमारी के इलाज का प्रावधान नहीं है।
- (2) गगनई जलाशय में संचालित मत्स्य बीज प्रजनन प्रक्षेत्र के विकास का उल्लेख नहीं है।
- (3) क्षेत्र के चौरासी जलाशय में संचालित मत्स्य बीज प्रक्षेत्र के विकास का उल्लेख नहीं है।
- (4) मछलीपालन का व्यवसाय करने वाले परिवारों को किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (5) मछली पालकों को मछली उत्पादन हेतु हाईटेक प्रशिक्षण प्रदान कराने का उल्लेख नहीं है।
- (6) अनुसूचित क्षेत्र के मत्स्य पालकों की लीज राशि माफ करने का उल्लेख नहीं है।
- (7) मत्स्य पालकों को उचित समय पर उच्च कोटि के मछली बीज निःशुल्क प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
- (8) मछली पालन को बढ़ावे देने के उपायों का उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मत्स्य प्रशिक्षण और विस्तार के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

3. श्री नारायण चंदेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जांजगीर—चांपा जिले में मछलीपालन के विकास के लिये राशि का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 54

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 1,61,50,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 14

1. श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.
बिल्हा विधान सभा के बिल्हा में कृषि विकास केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं है।
2. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
छत्तीसगढ़ नगद फसलों में अनुसंधान हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 23
जल संसाधन विभाग

मतदेय राशि

रूपये 10,69,29,04,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 31

1. श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) सिंचित क्षेत्र को दोगुना करने का उल्लेख नहीं है।
 - (2) इंद्रावती नदी में लगातार हो रहे जलस्तर पर सुधार करने कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।
 - (3) रिवर लिंकिंग स्कीम का कोई उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

महानदी मुख्य नहर में चरमुड़िया के पास क्रास रेगुलेटर बनाने का उल्लेख नहीं है।

3. श्री ननकी राम कंवर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

कृषि उपकरणों में अनुदान देने का उल्लेख नहीं है।

4. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.
 - (1) सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
 - (2) नदियों के किनारे बसे शहरों का गंदापानी नदी/नालों में आने से रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
 - (3) नदी जोड़ो योजना के क्रियांवयन का उल्लेख नहीं है।
 - (4) जल उपयोगिता प्राथमिकता तय करने वाले कानून बनाने का उल्लेख नहीं है।
 - (5) निर्माणाधीन/निर्मित बांध एवं एनीकट में हुए भ्रष्टाचार पर कार्यवाही करने के संबंध में उल्लेख नहीं है।
 - (6) घाघरा, अपर खुज्जी, गगनई, दमदम, चौरसिया बांधों से सिल्ट सफाई का उल्लेख नहीं है।
 - (7) घोड़देवा जलाशय के नहर विस्तार का उल्लेख नहीं है।
 - (8) नहरों को पक्का करने का उल्लेख नहीं है।
 - (9) बंटी बहेरा पेण्ड्रा में तिपान नदी पर एनीकट निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
 - (10) लक्ष्मण धारा खोडरी में अरपा नदी में सटापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
 - (11) नाबार्ड से सहायता प्राप्त जलाशयों के संबंध में उल्लेख नहीं है।
 - (12) एर्राटोला डायवर्सन में कोटखर्रा ग्राम के किसानों की जमीन जो नहर निर्माण हेतु अधिग्रहण की गई है उसका मुआवजा प्रदान करने का उल्लेख नहीं है।
 - (13) क्षेत्र के सेमरहा जलाशय जिसमें बरसात के बाद पानी नहीं रुकता उक्त बांध के मरम्मत कराने का उल्लेख नहीं है।

- (14) कुम्हारी डायवर्सन नहर मरम्मत कराने का उल्लेख नहीं है।
- (15) मरवाही के कोल बिरा जलाशय योजना का कोई प्रावधान नहीं है।
- (16) क्षेत्र के जोगी डोगरी जलाशय के अपूर्ण नहर को पूर्ण करने का उल्लेख नहीं है।
- (17) पीथमपुर विकासखंड पेण्ड्रा में बम्हरी नदी पर स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (18) पनकोटा के बरनाला में स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (19) कन्हर बांध निर्माण रोकने के प्रयास/उपायों का उल्लेख नहीं है।
- (20) पोलावरम बांध निर्माण रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
- (21) आमनाला को मलनिया जलाशय से जोड़ने के प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
- (22) नदियों के हो रहे कटावों को रोकने के उपायों का उल्लेख नहीं है।
- (23) दर्सी डायवर्सन के नहर एवं बांध की मरम्मत कराये जाने का उल्लेख नहीं है।

5. श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) मुंगेली शहर, जिला-मुंगेली में आगर नदी प्रदूषित है, प्रदूषण रोकने तथा प्रदूषण मुक्त करने हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
- (2) खुड़िया जलाशय, जिला-मुंगेली की नहरों के सी.सी. लाइनिंग हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।
- (3) लोरमी शहर, जिला-मुंगेली में मनियारी नदी अत्यंत प्रदूषित हो गई है, स्वच्छ करने संबंध कोई उल्लेख नहीं है।
- (4) ग्राम-बटहा, विकासखंड-लोरमी, जिला-मुंगेली, स्थित सिंचाई नहर में पुल निर्माण का उल्लेख नहीं है।

6. डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) सिंचित रकबा में वृद्धि के लिये नई परियोजनाओं का उल्लेख नहीं है।
- (2) मलहनिया जलाशय के सम्पूर्ण नहर को पक्का कराने का उल्लेख नहीं है।
- (3) कोटा क्षेत्र के गांवों में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिये नवीन सिंचाई योजनाओं का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) भाटापारा शाखा नहर के विस्तार करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) सिंचित क्षेत्र के विस्तार करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) भाटापारा शाखा नहर के लाइनिंग का कार्य कराने का उल्लेख नहीं है।
- (4) भाटापारा में शाखा नहर के कार्यों हेतु कोई उल्लेख नहीं है।
- (5) भाटापारा में सिंचाई व्यवस्था हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री केशव प्रसाद चंद्रा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) धनुवारपारा सलनी बोसई नदी में एनीकट निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) ग्राम—मुड़पार, विकासखंड—मालखरौदा में एनीकट निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) नरिमरा से मिरौची (बैराज) तक सड़क निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (4) ग्राम—करनौद, विकासखंड—बम्हनीडीह के हसदेव नदी में एनीकट निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

9. श्री देवव्रत सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अमरपुर सिंचाई परियोजना के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) जांजगीर—चांपा जिले में बलौदा विकासखंड के ठरगा बहरा बांध गहरीकरण के लिये कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) अकलतरा विकान सभा क्षेत्र में सनीचरा बांध गहरीकरण के प्रावधान का उल्लेख नहीं है।
- (3) जांजगीर—चांपा जिले में बलौदा विकासखंड में कनकी माईनर विस्तार हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (4) जांजगीर—चांपा जिले के बलौदा विकासखंड में बोकरामुड़ा शाखा नहर के विस्तार के लिये कोई प्रावधान नहीं है।

11. श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) रायपुर—बलौदाबाजार जिले के किसानों को सिंचाई प्रदान करने हेतु नहर नाली निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- (2) बलौदाबाजार जिले में कृषि विकास एवं सिंचाई सुविधा बढ़ाये जाने तथा स्टापडेम निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) विधान सभा क्षेत्र बलौदाबाजार के अंतर्गत खपराडीह माईनर का निर्माण करने तथा सिंचाई सुविधा बढ़ाने का उल्लेख नहीं है।
- (4) पेयजल संकट से निजात हेतु छुईहा जलाशय के गहरीकरण एवं सौंदर्यीकरण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

12. श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) बेलतरा विधान सभा क्षेत्र के खारंग जलाशय के असिंचित क्षेत्र बेलतरा, धामू, टेकर, नेवसा, गिधौरी, मितमी, माड़ी, अकलतरी, गढ़वर ग्रामों का लिफ्ट सिंचाई से इन ग्रामों को सिंचित करने का उल्लेख नहीं है।
- (2) बेलतरा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम उड़लम से नहर रोड उरैहापारा तक निर्माण करने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 40

आयकट विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि

रूपये 1,21,89,39,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 31

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

महानदी आयाकट क्षेत्र के विकास के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 45
लघु सिंचाई निर्माण कार्य

मतदेय राशि

रूपये 4,27,27,62,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 31

1. श्री अजीत जोगी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

मरवाही क्षेत्र में कोई भी लघु सिंचाई योजना की स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

2. श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शाकम्भरी योजना के लिये पर्याप्त राशि का उल्लेख नहीं है।

(2) बेलोरा, बकोरी, पनवई जलाशय (मगरलोड विकासखंड, जिला—धमतरी) के लाइनिंग हेतु राशि का उल्लेख नहीं है।

3. श्री सौरभ सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अकलतरा विधान सभा के बलौदा विकासखंड के बंधवा तालाब के गहरीकरण का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या— 75

जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

मतदेय राशि

रूपये 7,00,00,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक — 31

श्री अजय चंद्राकर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

- (1) पर्याप्त व्यय के बाद भी लघु सिंचाई योजना अपने रूपांकित क्षेत्र से कम में सिंचाई करने के कारणों का उल्लेख नहीं है।
- (2) कोड़ेबोड़ एवं दुलना (धमतरी जिला) सूक्ष्म सिंचाई योजना के कार्य शुरू करने का उल्लेख नहीं है।
- (3) वृहद सिंचाई योजनाएं पूर्ण करने में विलंब से लागत बढ़ रही है, समय पर पूरा करने का उल्लेख नहीं है।